तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशिंयल्स जज
२५.१२.२०२०	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित। भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुपली एवं पटवारी हल्का 8GM गोमावाली की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण द्वारा चक 6GM से गोमावाली आबादी को जोड़ने हेतु रास्ता चाहा गया है। राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा २51-क के तहत कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग चाहता है तो वह ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष, गोमावाली आबादी को चक 6GM की आबादी से जोड़ने हेतु रास्ता (बिंदु सं. 02 प्रा. पत्र), धारा २51-क के तहत नहीं दिया जा सकता। प्रा. पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो दाखिल दफ्तर की जाए। निर्णय आज दिनांक २५.१२.२०२० को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Priyanka उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर